05-02-16

कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

—: आदेश :—

रिट याचिका (क्रिमिनल) सं. 666–70 / 1992 – विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.1997 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश एवं सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना के संकल्प सं. 2058, दिनांक 17.04.2001 एवं तद्नुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3277, दिनांक 26.02.2013 के आलोक में आदेश ज्ञापांक 1028 / सी., दिनांक 26.08.2013 द्वारा पूर्व गठित परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सम्मिलित सदस्यों के अन्यत्र स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्गत आदेश को अवक्रमित करते हुए **समाहरणालय, किशनगंज** के लिए निम्नांकित रूप से परिवाद समिति का गठन किया जाता है :–

1. **श्रीमती चैतन्या कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनगंज** – **अध्यक्ष**
2. श्रीमती गीता सिन्हा, प्रधान लिपिक, जिला आपदा प्रबंधन, किशनगंज – सदस्य
3. श्रीमती अनिता देवी, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला नीलाम पत्र प्रशाखा, किशनगंज – सदस्य
4. श्रीमती मैत्री घोष, लिपिक, जिला सामान्य प्रशाखा, किशनगंज – सदस्य
5. श्रीमती सरिता देवी, लिपिक, जिला पारगमन प्रशाखा, किशनगंज – सदस्य
6. श्रीमती शिवानी दास, कार्यालय परिचारी, जिला राजस्व प्रशाखा, किशनगंज – सदस्य
7. श्री जयनारायण राम, प्रधान लिपिक, जिला राजस्व प्रशाखा, किशनगंज – सदस्य
8. श्री सूरज लाल, प्रधान लिपिक, जिला निर्वाचन प्रशाखा, किशनगंज – सदस्य
9. श्री सुभाष पासवान , प्रधान लिपिक, जिला स्थापना प्रशाखा, किशनगंज – सदस्य

उक्त समिति यौन उत्पीड़न संबंधी आचरणों चाहे ऐसा आचरण किसी कानून के तहत् अपराध हो या सेवा नियमावली का उल्लंघन के कारणों से उद्भूत शिकायतों के समुचित और कालबद्ध निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

उक्त समिति प्राप्त शिकायतों एवं उनके द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त, किशनगंज–सह–नोडल पदाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेगी।

उक्त समिति की बैठक **प्रत्येक दो माह में एक बार** अवश्य होगी, किन्तु समिति की अध्यक्ष आवश्यकतानुसार कभी भी समिति की बैठक बुला सकेंगी।

यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

ह. /–
(पंकज दीक्षित भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता
किशनगंज।

ज्ञापांक 285 /सी., किशनगंज, दिनांक 04.01.2016

प्रतिलिपि :: नव गठित समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2058, दिनांक 17.04.2001 एवं तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3277, दिनांक 26.02.2013 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेब साईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहद् प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी कार्यालय प्रधान, समाहरणालय, किशनगंज को इंगित आदेश के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने–अपने कार्यालयों में उक्त कमिटि का गठन करते हुए गठित समिति का प्रत्येक दो माह में एक बार निश्चित रूप से बैठक आयोजित करने का निदेश देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त–सह–नोडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: अपर समाहर्त्ता/सिविल सर्जन/अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय), बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :: माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय), बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

04/01/16

(पंकज दीक्षित भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

पत्रांक --3 /एम० 1--15/2001सा०प्र० 3277/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अजय कुमार सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 26.2. 2013

विषय:-- **रिट याचिका(क्रिमिनल) संख्या-666-70/1992-विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक- 13.08.1997 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु दिशा निर्देश एवं परिवाद समितियों का गठन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-666-70/1992-विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक-- 13.08.1997 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इस विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 2058 दिनांक-- 17.04.2001 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडन को रोकने एवं परिवाद समितियों के गठन के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्याय निर्णय में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन सभी प्रकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी/ बोर्ड/ निगम/निकाय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ विद्यालय तथा प्राईवेट कार्यस्थलों पर सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया गया है।

2. उक्त न्याय निर्णय के आलोक में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा उसके संबंध में प्राप्त शिकायतों के निष्पादन हेतु प्रत्येक विभाग एवं विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों में महिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक-एक परिवाद समितियाँ, जिसमें कम से कम आधी सदस्य महिलाएँ हो, गठित किया जाना है।

(58)

परन्तु अभी तक किसी भी विभाग/कार्यालय से उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी सरकारी कार्यालयों, जाक उपक्रम/बोर्ड/निगम/निकाय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय तथा प्राईवेट कार्यस्थल के प्रभारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संलग्न विभागीय संकल्प की कंडिका–3(g) के अनुरूप परिवाद समितियाँ गठित करने हेतु आवश्यक निदेश दिया जाय।

कृपया कृत कार्रवाई से समाज कल्याण विभाग के साथ–साथ इस विभाग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(विशेष कार्य पदाधिकारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 17.04.2001

(6) 57

विषयः रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 666—70/1992—विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.8.97 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु दिशा निदेश एवं परिवाद समितियों का गठन ।

रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 666—70/1992—विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.8.97 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (जे0टी0 1997 (7) एस0सी0 384) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायादेश में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने, यौन उत्पीड़न से संबंधित परिवादों के निष्पादन एवं दोषी व्यक्तियों को दंड देने हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु दिशा निदेश दिये गये हैं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में केन्द्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 11013/10/97—इस्ट (ए) दिनांक 13.02.98 के द्वारा दिशा निदेश निर्गत किए हैं । गृह (आरक्षी) विभाग के स्तर से भी पत्रांक 13514 दिनांक 06.11.2000 द्वारा यह निदेश परिचारित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निदेश एवं मानदंडों के आलोक में यौन उत्पीड़न को रोकने तथा उनके समाधान एवं निराकरण हेतु कार्रवाई की जाय ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित न्यायादेश में यह दिशा निदेश दिया गया है कि नियोजक या कार्यस्थलों या अन्य संस्थाओं के अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे यौन उत्पीड़न की घटना को रोकने हेतु कार्रवाई करें और सभी आवश्यक उपायों के द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलों के निष्पादन एवं अभियोजन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करें । इस उद्देश्य से यौन उत्पीड़न में ऐसे सभी अवांछनीय यौन निर्धारित व्यवहार (चाहे सीधे रूप से या परोक्ष रूप से) शामिल होंगे, यथा—

(i) शारीरिक संपर्क एवं इसके लिए आगे बढ़ना,

SANKALP

(ii) यौन अनुमति के लिए अनुरोध या मांग

(iii) यौन रंजित टिप्पणियां,

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना,

(v) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या गैर–मौखिक आचरण ।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया है जिसका अनुपालन सभी प्रकार के सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी/बोर्ड/निगम/निकाय आदि कार्यस्थलों पर सुनिश्चित किया जाए:–

(a) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के उपनियम (1) {iii} में यह प्रावधान है कि कोई सरकारी सेवक ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो, सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो । महिला के यौन उत्पीड़न का कार्य निश्चित रूप से सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है और कदाचार की श्रेणी में आता है । यौन उत्पीड़न के ऐसे मामले में दोषी सरकारी सेवक के विरूद्ध नियमानुसार उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए । बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में संशोधन द्वारा एतदर्थ एक विशिष्ट प्रावधान भी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(b) जहां ऐसा कोई आचरण भारतीय दंड विधान या किसी अन्य कानून के अंतर्गत विशिष्ट अपराध की श्रेणी में आता है, संबंधित प्राधिकारी उपयुक्त प्राधिकार के समक्ष परिवाद के माध्यम से विधि सम्मत उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ करेंगे ।

(c) विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई करते समय पीड़ित महिला या गवाहों को दंडित नहीं किया जाये या उनके विरूद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाये । यौन उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्ति को यह विकल्प होना चाहिये कि वे यौन उत्पीड़न के लिए दोषी कर्मचारियों के स्थानांतरण या स्वयं अपने स्थानांतरण का अनुरोध करें ।

(d) चाहे ऐसा आचरण किसी कानून के अंतर्गत अपराध या सेवा नियमावली के उल्लंघन का मामला बनता हो या नहीं, प्रत्येक संगठन में पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा दर्ज की गई शिकायत के निष्पादन हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित की जाये । ऐसी

...यत निष्पादन की व्यवस्था में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि शिकायतों पर कालबद्ध रूप से कार्रवाई हो। जहां भी शिकायतों के निष्पादन हेतु ऐसी व्यवस्था पूर्व से विद्य...न हो, वहां उन्हें अधिक प्रभावकारी बनाया जाए और विशेष रूप से ऐसी शिकायतों के निष्पादन का दायित्व महिला पदाधिकारियों को दिया जाये।

(e) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये दिशा निदेश (प्रतिलिपि संलग्न) को सुस्पष्ट रूप से अधिसूचित एवं प्रकाशित कर इस संबंध में महिला कर्मचारियों के अधिकारों का प्रचार एवं उनके प्रति जागरूकता पैदा की जाये और संलग्न दिशा निदेशों का सभी विभाग/कार्यालय और बोर्ड/निगम/निकाय/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यस्थलों पर अनुपालन सुनिश्चित की जाये।

(f) निजी नियोक्ताओं के संबंध में इन्डस्ट्रीयल इम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डरस) ऐक्ट, 1946 के तहत स्थायी आदेशों में उपर्युक्त निषेधों का समावेश करने की भी कार्रवाई की जाये।

(g) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निदेश के आलोक में प्रत्येक विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में परिवाद समितियां गठित की जायें। यह समिति यथासंभव महिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हो और इसमें कम-से-कम आधे सदस्य महिलायें हों।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी में लाने हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को इस निदेश के साथ दिया जाये कि वे संलग्न दिशा निदेश से अपने अधीनस्थ सभी सरकारी कार्यालय/लोकउपक्रम/बोर्ड/निगम/निकाय/विश्वविद्यालय/महा-विद्यालय/विद्यालय तथा प्राइवेट कार्यस्थलों के प्रभारी को अवगत करा दें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.5.01

सरकार के संयुक्त सचिव

कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग

(81)

(57)

ज्ञापांक 2058 3/एम1-13/2001 पटना, दिनांक 17.04.2001

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

16.4.01

सरकार के संयुक्त सचिव
कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग

ज्ञापांक 2058 पटना, दिनांक 17.04.2001

प्रतिलिपि— सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प एवं संलग्न दिशा निदेशों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों/लोकउपक्रमों/बोर्ड/निगम/निकायों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों तथा अपने कार्य क्षेत्र के निजी संस्थानों/कार्यस्थलो को अवगत करावें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

16.4.01

सरकार के संयुक्त सचिव
कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग

ज्ञापांक 2058 पटना, दिनांक 17.04.2001

प्रतिलिपि—सचिव, विधान सभा सचिवालय/सचिव, विधान परिषद् सचिवालय, महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।

16.4.01

सरकार के संयुक्त सचिव
कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग